हांग कांग में विकलांगता भेदभाव

विवरण

बढ़ती आयु के साथ हांग कांग में विकलांग लोगों (PWD) की संख्या भी बढ़ गई है। विकलांग लोगों के प्रति सामान्य धारणा एक-आयामी बनी हुई है, कई लोगों ने इस समूह की योग्यता और क्षमताओं को खारिज कर दिया है। नतीजतन, कई विकलांग लोग समाज में हाशिए पर हैं और अवसरों से वंचित हैं।

जनसांख्यिकी

- 2013 में, हांग कांग में 578,600 व्यक्ति या कुल जनसंख्या का 8.1% लोग विकलांग थे। यह आंकड़ा 2007 की तुलना में 60% अधिक था।
- बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 71,000 से 101,000 तक, या कुल जनसंख्या का 1% से 1.4% तक होने का अनुमान है।
- 70% से अधिक पीडब्ल्यूडी 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के थे।
- विकलांगों में पुरुषों (43.2%) की तुलना में महिलाओं (56.8%) की संख्या अधिक थीं।

विकलांगता के पाँच सबसे सामान्य प्रकार

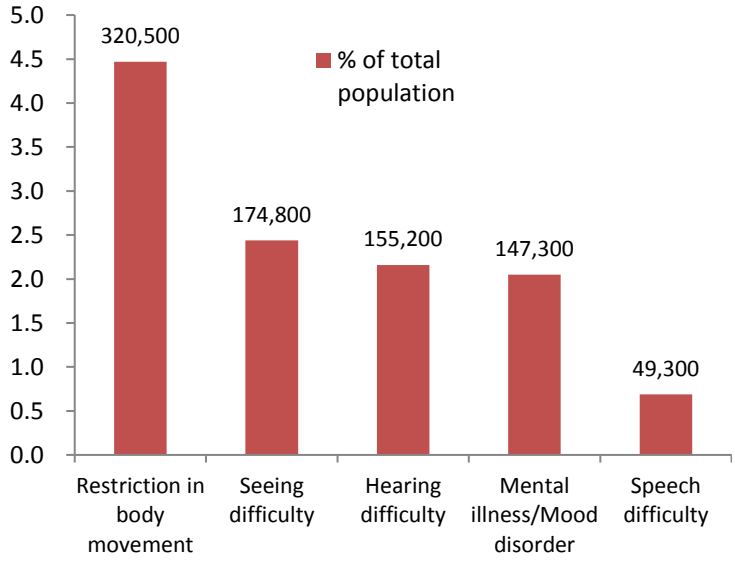

(स्रोत: विशेष विषय रिपोर्ट संख्या 62, विकलांग व्यक्ति और पुराने रोग, जनगणना और सांख्यिकी विभाग)

आर्थिक गतिविधि

- आर्थिक रूप से सक्रिय पीडब्ल्यूडी का अनुपात, कुल जनसंख्या में समान आंकड़े से काफी कम है। सामान्य जनसंख्या में 72% के मुकाबले पीडब्ल्यूडी में कामकाजी आयु (18 - 64) में महज 39% ही आर्थिक रूप से सक्रिय थे। पीडब्ल्यूडी में बेरोजगारी दर भी कुल दर से दोगुनी है।
- काम करने वाले लोगों में से 34.0% पीडब्लूडी कम कुशल व्यवसायों में नियोजित थे, जबकि यह कुल दर में 20.1% हैं। लगभग आधे पीडब्लूडी $10,000 प्रति माह से कम कमाते थे। पुरी जनसंख्या के मकाबले में ($13,000) पीडब्लूडी में माध्यमिक रोज़गार आय $9,500 थी।
- 2013 में, 43,900 पीडब्लूडी तृतीयक शिक्षा प्राप्त थे परन्तु केवल 34.7% व्यावसायिक थे।
- 2013 में, विकलांग सदस्यों वाले परिवारों के लिए आवर्ती नकद हस्तक्षेप के बाद गरीबी दर 29.5% थी, जो सामान्य जनसंख्या के आंकड़े से दोगुनी थी (14.5%)।

शिक्षा

- विकलांग व्यक्तियों की शैक्षिक प्राप्ति सामान्य जनसंख्या की तुलना में काफी कम है।
- बौद्धिक अक्षमता वाले लोगों को छोड़कर, 37.1% पीडब्ल्यूडी को केवल प्राथमिक शिक्षा प्राप्त है, जबकि सामान्य आबादी में यह संख्या 18.5% है। एक चौथाई लोगों के पास कोई स्कूली शिक्षा या पूर्व प्राथमिक शिक्षा नहीं थी।
- केबल 7.6% पीडब्ल्यूडी को तृतीयक शिक्षा प्राप्त हुई है, जबकि सामान्य आबादी में यह संख्या 25% है।

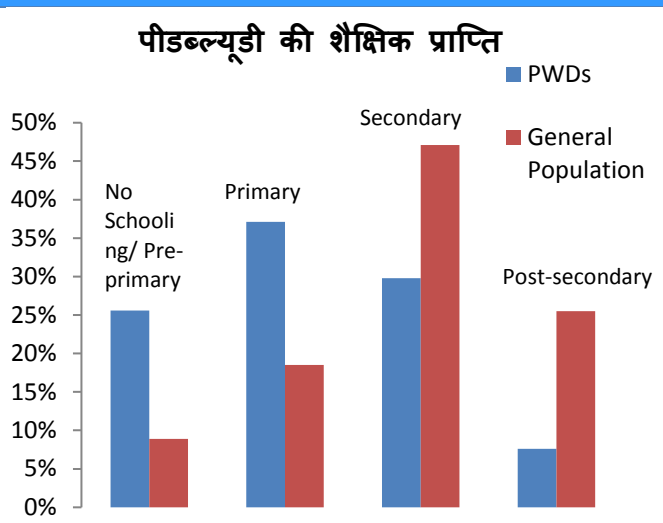

कानून तहत संरक्षण - विकलांगता भेदभाव अध्यादेश (DDO)

विकलांगता के कारण भेदभाव, उत्पीडन और निन्दा से बचाने के लिए 1996 में विकलांगता भेदभाव अध्यादेश (DDO) लागू हुआ। सालों सें DDO के तहत शिकायतें EOC में सबसे अधिकतम रहे हैं। 2018 में EOC ने DDO के अर्न्तगत 677 शिकायतें प्राप्त कीं जिनमें 56% (378 केसस) रोज़गार संबन्धी थे।

पीडब्ल्यूडी की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, ईओसी ने सरकार को भेदभाव कानून समीक्षा में डीडीओ में संशोधन करने की सिफारिश की हैं। सिफारिशों में शामिल हैं:

1. कानून में शामिल क्षेत्रों में पीडब्ल्यूडी के लिए उचित आवास प्रदान करने के लिए इसे कानूनी आवश्यकता बनाना;
2. सहायता वाले जानवर के साथ आने वाले लोगों को भेदभाव से बचाना।

भेदभाव कानून समीक्षा के बारे में: http://www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/inforcenter/dlr/default.aspx

आंकड़े एकत्र करते समय सरकार पीडब्ल्यूडी को निम्नानुसार परिभाषित करती है:

- जो लोग 6 महीने या उससे अधिक अवधि के लिए खुद से शारीरिक गतिविधियों में बाधा महसूस करते हैं, देखने सुनने और बोलने में दिक्कत का सामना करते हैं;
- जिनका योग्य स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा मानसिक बीमारी/मनोदशा विकार, ऑटिज़्म, विशेष चीजें सीखने में कठिनाई और ध्यान लगाने में कमी/अति सक्रियता विकार का इलाज किया गया है।

विकलांगता भेदभाव अध्यादेश (DDO) के तहत विकलांगता की परिभाषा बहुत व्यापक है, और इसमें निम्न शामिल हो सकते हैं:

- किसी व्यक्ति के शारीरिक या मानसिक कार्यों का कुल या आंशिक नुकसान;
- शरीर के एक हिस्से का कुल या आंशिक नुकसान;
- रोग या बीमारी (जैसे एचआईवी) पैदा करने वाले जीवों की उपस्थिति;
- व्यक्ति के शरीर के किसी हिस्से का खराबी, विकृति या टूटना; या
- एक विकार, बीमारी या रोग जो किसी व्यक्ति की वास्तविकता, भावनाओं या निर्णय की धारणा को प्रभावित करती है या जिसके परिणामस्वरूप व्यवहार में दिक्कत और सीखने में कठिनाई होती है।

स्रोत:

- *विकलांगता पर हांग कांग गरीबी स्थिति रिपोर्ट 2013*
- *विशेष विषय रिपोर्ट संख्या 62, विकलांग व्यक्ति और पुराने रोग (2014), जनगणना और सांख्यिकी विभाग)*

कॉपीराइट © **Equal Opportunities Commission**, जुन 2019
पता: 16/F, 41 ह्युंग यिप रोड़, वांग चुक हांग, हांग कांग
टेली: 2511 8211 फैक्स: 2511 8142 ई-मेल: eoc@eoc.org.hk वेबसाइट: www.eoc.org.hk